न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —01/2016 (रेफरैंस)

GCMS No.- 2016/00262

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

—अपीलाण्ट.

बनाम

धन्नालाल पुत्र मोहनलाल वर्मा, निवासी छावनी, कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः—

1. पेरोकार सरकार.

निर्णय

दिनांक— 16.07.2025

1. रेफरेंस का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 348 रकबा 2.31 हे0 भूमि धन्नालाल पुत्र मोहनलाल वर्मा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी गैर खातेदार धन्नालाल की ओर से 24.2.2014 को एक आवेदन तहसीलदार लाडपुरा को प्रस्तुत कर गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जाने पर पटवारी हल्का मण्डाना की जांच रिपोर्ट उपरान्त तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 14.10.2014 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दी गई । तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.6.2015 को पुनः तहसील में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जो धन्नालाल खातेदारी आवेदन के साथ उपस्थित हुआ था, वह फर्जी व्यक्ति था । पटवारी हल्का के पत्र की जांच नायब तहसीलदार मण्डाना से करवाई गई नायब तहसीलदार मण्डाना की रिपोर्ट अनुसार मौके पर गैर खातेदार का कब्जा नहीं है तथा जिस धन्नालाल द्वारा खातेदारी हेतु आवेदन किया गया था उसके द्वारा खातेदारी उपरान्त भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है, पंजीयन के दौरान धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत वोटर आई डी की जांच वोटिंग लिस्ट से करने पर धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत वोटर आई डी भी कूटरचित पाया गया । यह प्रमाणित होने पर कि किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा धन्नालाल बनकर खातेदारी प्राप्त की गई तथा उसके उपरान्त भूमि का विक्रय कर दिया गया, नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा धन्नालाल भूमि के केता व पंजीयन के दौरान धन्नालाल की पहचान करने वाले दोनों गवाहों के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है । उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक धन्नालाल को प्रदत्त खातेदारी भी पूर्णतया दूषित है । अतः भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत आवेदक धन्नालाल को प्रदत्त खातेदारी को निरस्त फरमाकर भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
2. रेफरेंस प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की तलबी नहीं होने से पटवारी हल्का से भी अप्रार्थी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई किन्तु रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.6.2025 अनुसार अप्रार्थी की कोई जानकारी नहीं हो पा रही है ।
3. पेरोकार सरकार को सुना गया । पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए प्रस्तुत रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम राजस्व मण्डल में प्रेषित करने हेतु निवेदन किया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम मण्डाना के खसरा नम्बर 348 रकबा 2.31 हे0 भूमि धन्नालाल पुत्र मोहनलाल वर्मा निवासी छावनी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी । उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु फर्जी व्यक्ति द्वारा धन्नालाल बनकर आवेदन पेश किया गया तथा तहसीलदार लाडपुरा ने दिनांक 14.10.2014 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये किन्तु प्रकरण में शिकायत होने पर तथ्य सामने आया कि खातेदार धन्नालाल के स्थान पर फर्जी धन्नालाल द्वारा आवेदन पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये तथा उक्त भूमि का बेचान भी कर दिया गया है । नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा धन्नालाल, भूमि के केता व पंजीयन के दौरान धन्नालाल की पहचान करने वाले दोनों गवाहों के विरूद्व पुलिस थाना मण्डाना में प्राथमिकी दर्ज करवादी गई है । ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी आदेश दूषित होने से धन्नालाल की पहचान नहीं होने से खातेदारी आदेश निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किया जाना उचित है । अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस राजस्व मण्डल अजमेर में भिजवाया जाना उचित पाते है ।
5. अतः प्रार्थी का रेफरेस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 रेफरेंस योग्य माना जाकर अन्तिम निर्णय हेतु रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाना उचित पाते है । तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि रेफरेंस प्रकरण मय आवश्यक राजस्व रेकार्ड एवं पत्रावली के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करें ।
6. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा